



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(प्रारूप-अ)

GH 168382

हम गौरा देवी (अप्यक्ष) एवं दयानन्द चौधरी (प्रबन्धक), क्रमशः अप्यक्ष-एवं प्रबन्धक, स्व0 रामरूप चौधरी शिक्षा समिति कल्यानगंज बस्ती, पला ग्राम व पोस्ट कल्यानगंज, तहसील हरैया, जनपद बस्ती (उ0प्र0) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं कि-

1. यह कि हमारी सोसायटी द्वारा दयानन्द चौधरी इंस्टीट्यूट आक मेडिकल साइंस, पला ग्राम व पोस्ट महदेवा, तहसील हरैया, जनपद बस्ती (उ0प्र0) नामक जिल्लोगा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसायटी के नाम ग्राम व पोस्ट महदेवा, तहसील हरैया, जनपद बस्ती (उ0प्र0) में गाटा सं0 396 कुल रकबा 0.810 हे0 भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त प्लॉट पर सोसायटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं0 298 कुल रकबा 0.809 पर उपरोक्त नाम की जिल्लोगा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत जिल्लोगा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

Sworn and Verified
before me

SURESH KUMAR

Address: S & Notary Public
137/175 Karfa, Mohan Nagar Devi Das Me 2
Surat, Gujarat, India
Phone: 98250 12345



6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं विद्यारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिस्ट्रींग स्टरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्थान में फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसायटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।


हो प्रामाण्यक


हो अष्टाक्ष

Sworn and Verified
before me

SURESH KUMAR

Advocate & Notary Public

4/7175 Karfa, Near Major Devi Das Ma'g

Mirzapur, Ghazipur, Lucknow